कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2399/11–सी–FP/UP/TRANS/21318/2016 ,लखनऊः दिनांकः मई 25 ,2017

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
जालौन सा0वा0 प्रभाग,
उरई।

विषयः– 765 के0वी0डी0सी0 उरई–अलीगढ़ पैकेज टी0ई0 06 पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैवानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी का पत्रांक–4600/33–1, दिनांक 18.05.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है।

2– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का 15 मानक शर्तो ही उल्लेख है, जो अपूर्ण है। अतः 18 मानक शर्ते अंकित कर उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर, संलग्न करें।

3– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उप वन संरक्षक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 में प्रस्तावित वनभूमि का Geo Refferenced Digital Map तथा के0एम0एल0 अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उप वन संरक्षक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु आनलाइन भाग–2 में प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है।

5– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन के सारांश में 400 के0वी0डी0सी0 उरई–उरई (यू0पी0टी0सी0एल0) पारेषण लाईन एवं 765 के0वी0डी0सी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन के प्राक्कलन की धनराशि अलग–अलग क्षेत्रफल सहित अंकित करें।

6– प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है।

7– ईको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

8– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

9– प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक–1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

10– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

11– प्रस्ताव के आनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है।

12– प्रस्ताव के हार्डकापी भाग–2 में हरियाली घनत्व अंकित नही है।

13– प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि प्रभावित हाने के कारण लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।

14– वैकल्पिक भूमि प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2399/11–सी–**FP/UP/TRANS**/21318/2016/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
2. मुख्य प्रबन्धक, उप केन्द्र/पारेषण लाईन निर्माण, निकट कालपी बस स्टेण्ड उरई।

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 1112